संख्या- 6/2020/748/33-3-2020-100(17)/2015

प्रेषक,

डा0 रमा शंकर मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के राजस्व मद में धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा/24/2020- आर.जी.एस.ए./81(1)/2015 दिनांक 06.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्रावधानित धनराशि रू. 5692.50 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या-के/11011/05/2019-सी.बी. दिनांक 28.11.2019 द्वारा राजस्व पक्ष में प्राप्त केन्द्रांश रू. 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0एस0)-42-अन्य व्यय में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने पर उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में उक्त धनराशि केन्द्रांश की सीमा तक समायोजित की जायेगी।

(2) आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(10) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगें।

(12) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येकमाह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(13) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) की गाईडलाइन की व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार से राजस्व पक्ष में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्रांश केन्द्रांश रू. 1200.00 लाख की लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0एस0)-42-अन्य व्यय में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से विजया बैंक, 1/33 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर में खोले गए खाता संख्या-713401621000005, आई.एफ.एस.सी कोड-VIJB 0007134 में जमा किया जायेगा।

(14) योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

(15) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि हेतु आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-4183/33-3-2018-15 सी.एम./2013 टी.सी.।। दिनांक 10.12.2018 एवं अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
(डा0 रमा शंकर मौर्य)
विशेष सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- एन0आई0सी0 की प्रति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।